संख्या–[illegible]/XXVIII-4-2018-04/2008 T.C

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 14 सितम्बर, 2018

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–एम0एस0बी0आई0/2018–19/एन0एच0पी0एस0/55/109, दिनांक 30.07.2018 एवं पत्र संख्या–आयुष्मान भारत/2018–19/एन0एच0पी0एस0/64/126, दिनांक 13.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं (मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना एवं यू0 हैल्थ योजना) को समाहित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के समस्त परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किये जाने हेतु अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का संचालन निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2.1 चिकित्सा उपचार सुरक्षा हेतु चिकित्सालयों का पंजीकरण –

राज्य के अंतर्गत निवासरत पात्र परिवारों को चिकित्सा उपचार सुरक्षा प्रदान करने हेतु राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों का पंजीकरण किया जायेगा, तथा उन्हें निर्धारित अनुमन्य पैकेज के अनुरूप भुगतान किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थित राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों को भी योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जायेगा। भुगतान हेतु उस राज्य/शहर हेतु लागू सी0जी0एच0एस0 की तत्समय लागू दरों के अनुरूप भुगतान किया जायेगा। राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु योजना के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालय के अंतर्गत कार्यरत डायॉग्नोस्टिक सेन्टर भी पंजीकरण हेतु स्वतः मान्य होंगे। ऐसे केन्द्र, जो सिर्फ डायॉग्नोस्टिक सेन्टर के रूप में संचालित हैं एवं राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (N.A.B.L.) से प्रमाणित हैं, उन्हें डायॉग्नोस्टिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जायेगा। औषधालय का पंजीकरण सी0जी0एच0एस0 मानकानुसार किया जायेगा।

2.2 चिकित्सा उपचार सुरक्षा –

राज्य के अंतर्गत निवासरत समस्त परिवारों का डाटाबेस पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे के आधार पर तैयार किया जायेगा, जिसे योजना में उपयोग किया जायेगा। सभी लाभार्थियों के डाटाबेस में आधार को भी शामिल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त फोटो–पहचान पत्र भी डाटा बेस में सम्मिलित होगा।

(i) उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत निवासरत ऐसे परिवार जो आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन हेतु सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 से भारत सरकार के माध्यम से चयनित हैं, को

रू0 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष फैमिली फ्लोटर के रूप में चिकित्सा उपचार सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत पूर्व में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित ऐसे परिवार, जो किन्हीं कारणों से, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को भी अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है; को रू0 1.75 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष फैमिली फ्लोटर के स्थान पर, रू0 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष फैमिली फ्लोटर के रूप में चिकित्सा उपचार सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। इनकी पहचान हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड का भी उपयोग किया जा सकेगा।

(iii) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एव सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को असीमित चिकित्सकीय उपचार सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु विभाग द्वारा तैयार डाटा बेस का उपयोग करते हुए Employment Code/GRD Code, फोटो पहचान पत्र एवं आश्रितों हेतु स्व–प्रमाणित दस्तावेज का उपयोग किया जायेगा।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत पात्र शेष परिवारों को रू0 5 लाख की चिकित्सा उपचार सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी, साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी लाभार्थी दो समान प्रकार की योजनाओं में सम्मिलित न हो, जैसे :–''कर्मचारी राज्य बीमा'', केन्द्रीय कर्मचारी/अधिकारी हेतु अनुमन्य बीमा, ई0सी0एच0एस0 (भारतीय सैन्य सेवा हेतु), अन्य राज्य सरकारों में सेवारत/सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी आदि। इनकी पहचान हेतु वर्ष 2012 की मतदाता सूची डाटाबेस अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ऐक्ट के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राशन कार्ड के डाटाबेस का उपयोग किया जायेगा।

2.3 राज्य अथवा राज्य के बाहर के सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपचार की प्रकिया :–

राज्य अथवा राज्य के बाहर के सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध राजकीय चिकित्सालयों से सामान्य परिस्थितियों में (आकस्मिकता को छोड़कर) संदर्भित होना आवश्यक है। 'आकस्मिकता' से तात्पर्य ऐसी चिकित्सकीय समस्या से है, जिसमें तत्काल उपचार सुविधा प्रदान न करने पर मरीज को स्थायी रूप से चोट/विकृति/अंगहानि अथवा मौत हो सकती है। आकस्मिकता से सम्बन्धित चिकित्सकीय समस्याओं का विवरण निम्नवत् है:–

Injury and Illness :- Abdominal Pain, Severe Appendicitis (Leading to Peritonitis), Ballistic Trauma (Gunshot Wound), Head Trauma; Hyperthermia (Heat Stroke or Sunstroke), Malignant Hyperthermia, Hypothermia or Frostbite, Intestinal Obstruction, Pancreatitis, Peritonitis, Poisoning, Food Poisoning, Venomous Animal Bite, Ruptured Spleen, Septic Arthritis, Septicaemia Blood Infection, Severe Burn (including Scalding and Chemical Burns), Spreading Wound Infection, Suspected Spinal injury, Traumatic Brain Injury, Spinal Disc Herniation.

Infections:- Lyme Disease Infection, Malaria Infection, Rabies Infection, Salmonella Poisoning.

Cardiac and Circulatory :- Aortic Aneurysm (Ruptured). Aortic Dissection. Bleeding. Hemorrhage. Hypovolemia. Internal Bleeding . Cardiac Arrest. Cardiac Arrhythmia. Cardiac Tamponade. Hypertensive Emergency. Myocardial Infarction (Heart Attack). Ventricular Fibrillation.

Metabolic:- Acute Renal Failure. Addisonian crisis (seen in those with Addison's disease). Advanced Dehydration. Diabetic Coma. Diabetic Ketoacidosis. Hypoglycemic Coma. Electrolyte Disturbance. Severe (alongwith Dehydration. Possible with Severe Diarrhea or Vomiting. Chronic Laxative Abuse. and Severe Burns). Hepatic Encephalopathy. Lactic Acidosis. Malnutrition and Starvation (as in Extreme Anorexia and Bulimia). Thyroid Storm.

Neurological and Neurosurgical:- Attempted Non-fatal Suicide. Cerebrovascular Accident (stroke). Subarachnoid Hemorrhage. Acute Subdural Hematoma. Convulsion or Seizure. Meningitis. Syncope (Fainting). Acute Spinal Cord Compression.

Psychiatric:- Psychotic episode. Suicidal Ideation.

Ophthalmological:- Acute Angle-closure Glaucoma. Orbital Perforation or Penetration. Retinal Detachment .

Respiratory:- Agonal Breathing. Asphyxia. Angioedema. Choking. Drowning. Smoke inhalation. Acute Asthma. Epiglottitis or Severe Croup. Pneumothorax. Pulmonary Embolism. Respiratory Failure.

Shock:- Anaphylaxis. Cardiogenic Shock. Hypovolemic Shock (Due to Hemorrhage). Neurogenic Shock. Obstructive Shock (e.g., Massive Pulmonary Embolism or Cardiac Tamponade). Septic Shock.

Obstetrics :- Ectopic Pregnancy. Eclampsia. Pre-eclampsia. HELLP Syndrome. Fetal Distress. Obstetrical Hemorrhage. Placental Abruption. Prolapsed Cord. Puerperal Sepsis. Shoulder Dystocia. Uterine Rupture.

Urological, Andrological, and Gynecologic :- Ovarian Torsion. Gynecologic Hemorrhage. Paraphimosis. Priapism. Sexual Assault (rape). Testicular Torsion. Urinary Retention.

2.4 राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी :–

उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत निवासरत ऐसे परिवार, जो आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन हेतु सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 से भारत सरकार के माध्यम से चयनित हैं, को आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अनुरूप राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की जायेगी। उपचार हेतु सामान्य परिस्थितियों में (आकस्मिकता को छोड़कर) राज्य के सूचीबद्ध चिकित्सालयों से संदर्भित होना आवश्यक है, जिस हेतु आई0टी0 के माध्यम से संदर्भण की सूचना राज्य के बाहर के चिकित्सालयों को प्रेषित की जायेगी।

(i) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्रदान की जायेगी, जिस हेतु राज्य के बाहर के चिकित्सालयों को सी0जी0एच0एस0 की तत्समय लागू दर के अनुरूप सूचीबद्ध किया जायेगा। उपचार हेतु सामान्य परिस्थितियों में (आकस्मिकता को छोड़कर) राज्य के सूचीबद्ध चिकित्सालयों से संदर्भित होना आवश्यक है, जिस हेतु आई0टी0 के माध्यम से संदर्भण की सूचना राज्य के बाहर के चिकित्सालयों को प्रेषित की जायेगी।

(ii) अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड के अन्य शेष पात्र परिवारों को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) ऐसे उपचार, जिस हेतु पैकेज दरों का निर्धारण नहीं किया गया है, उनकी दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में महानिदेशक–चि0स्वा0ए0प0क0 की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2.5 **उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कर्मचारी/अधिकारी एवं सेवानिवृत्तों द्वारा योजना के संचालन हेतु योगदान धनराशिः–**

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कर्मचारी/अधिकारी एवं सेवानिवृत्तों से निम्नानुसार योगदान धनराशि अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी, जिसे भविष्य में आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है:

- लेवल 1 से 5 तक अथवा इसके समतुल्य राजकीय कर्मचारी– रू0 100 प्रति माह।
- लेवल 6 से अथवा इसके समतुल्य राजकीय कर्मचारी–रू0 200 प्रति माह।
- लेवल 7 से 11 तक अथवा इसके समतुल्य राजकीय कर्मचारी/अधिकारी–रू0 300 प्रति माह।
- लेवल 12 एवं उच्चतर से अथवा इसके समतुल्य राजकीय अधिकारी–रू0 400 प्रति माह।
- राजकीय सेवानिवृत्तों–रू0 200 प्रति माह।

विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी के माध्यम से नियमानुसार की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि ट्रस्ट/सोसाईटी के खाते में ई–ट्रांजैक्शन के माध्यम से नियमानुसार जमा हो गयी है। साथ ही, आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा उनके अंतर्गत कार्यरत या सेवानिवृत्त समस्त राजकीय कर्मचारी/अधिकारी एवं सेवानिवृत्त का डाटा संबंधित द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर यथा–सेवा पुस्तिका अथवा अन्य उपलब्ध दस्तावेज से मिलान करते हुए, राज्य हैल्थ एजेंसी द्वारा तैयार आई0टी0 संरचना पर दर्ज किया जायेगा।

2.6 सुविधाएं –

(i) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त परिवारों को भर्ती होने की दशा में, पंजीकृत राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में सामान्य शैय्या पैकेज दर अनुमन्य होगा।

(ii) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु शैय्या का वर्गीकरण सातवें वेतनमान में वर्णित लेवल के अनुसार लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कर्मचारी के परिवार हेतु सामान्य शैय्या, लेवल 6 के राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु सेमी प्राईवेट शैय्या, लेवल 7 से 11 तक के राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु प्राईवेट शैय्या एवं लेवल 12 एवं उच्चतर के राजकीय अधिकारी के परिवार हेतु डीलक्स शैय्या अनुमन्य करायी जायेगी।

(iii) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु डायॉग्नोस्टिक सेन्टर एवं औषधालय भी पंजीकृत किये जायेंगे, जिससे निःशुल्क जाँच एवं दवाईयों की सुविधा राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को प्रदान की जा सके।

(iv) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत नवीन पंजीकरण करते हुए कार्ड बनाया जायेगा, जिसका भुगतान प्रशासनिक मद से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(v) उत्तराखण्ड राज्य व्याधि निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले उपचारों का संचालन भी सोसाईटी के माध्यम से किया जायेगा।

2.7 पैकेज–

(i) वर्तमान में योजना के संचालन हेतु कुल 1350 (तेरह सौ पचास) पैकेजों का चयन किया गया है। इसके अन्तर्गत हृदय रोग सम्बन्धित कुल 130 पैकेज, नेत्र रोग सम्बन्धित 42 पैकेज, नाक, कान, गला रोग सम्बन्धित 94 पैकेज, हड्डी रोग सम्बन्धित 114 पैकेज, मूत्र रोग सम्बन्धित 161 पैकेज, महिला रोग सम्बन्धित 73 पैकेज, शल्य रोग सम्बन्धित 253 पैकेज, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो रेडियोलोजी एवं प्लास्टिक सर्जरी, बर्न रोग सम्बन्धित 115 पैकेज, दन्त रोग सम्बन्धित 9 पैकेज, बाल रोग सम्बन्धित 156 पैकेज, मेडिकल रोग सम्बन्धित 70 पैकेज, कैन्सर रोग सम्बन्धित 112 पैकेज एवं अन्य 21 पैकेजों का चयन किया गया है।

(ii) चिन्हित पैकेजों का लाभ प्रथमतया केवल राजकीय चिकित्सालयों में ही उपलब्ध कराया जायेगा। आपातकालीन परिस्थितियों में, मरीज द्वारा किसी भी सूचीबद्ध चिकित्सालय में अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भविष्य में अन्य पैकेज दरों के निर्धारण, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उपचार हेतु पैकेज दरों के चयन एवं नवीन पैकेजों के निर्धारण के सम्बन्ध में महानिदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो निम्नवत् होगी :–

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी (ट्रस्ट के अंतर्गत)	सदस्य सचिव
निदेशक, वित्त (ट्रस्ट के अंतर्गत)	सदस्य
निदेशक, क्लेम प्रोसेसिंग (ट्रस्ट के अंतर्गत)	सदस्य
निदेशक, चिकित्सा उपचार (महानिदेशालय के अंतर्गत)	सदस्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज/अन्य राजकीय चिकित्सालय/एम्स –ऋषिकेश/निजी चिकित्सालय से विषय विशेषज्ञ	आमंत्रित सदस्य
अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य नामित प्रतिनिधि	आमंत्रित सदस्य

(iii) पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों को निर्धारित पैकेज दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को निकटवर्ती चिकित्सालयों में ही योजना का लाभ प्राप्त हो सके। पर्वतीय क्षेत्रों की सूची निम्नवत है:–

- जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, टिहरी एवं उत्तरकाशी के समस्त ब्लॉक।
- जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा ब्लॉक को छोड़कर समस्त ब्लॉक।
- जनपद देहरादून के चकराता एवं कालसी ब्लॉक तथा मसूरी नगर पालिका।

➢ जनपद नैनीताल के भीमताल, धारी, ओखलकांडा, बेतालघाट, रामगढ ब्लॉक।

(iv) भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में एवं आयुष्मान उत्तराखण्ड के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुये एन0ए0बी0एच0 एक्रीडेटेड चिकित्सालयों को भी निर्धारित पैकेज दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(v) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु डायॉग्नोस्टिक सेन्टर पंजीकृत किया जायेगा, जिससे निःशुल्क जाँच की सुविधा राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को प्रदान की जा सके। निःशुल्क जाँच की सुविधा प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को राजकीय चिकित्सालय में सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में संदर्भण के पश्चात्, निजी सूचीबद्ध चिकित्सालयों अथवा एन0ए0बी0एल0 एक्रीडेटेड डायॉग्नोस्टिक सेन्टर में जाँच करने तथा सी0जी0एच0एस0 की तत्समय लागू दर के अनुरूप भुगतान करने एवं आई0टी0 संरचना पर दर्ज करने की व्यवस्था की जायेगी।

(vi) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु औषधालय पंजीकृत किया जायेगा, जिससे निःशुल्क दवाईयों की सुविधा राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को प्रदान की जा सके। निःशुल्क दवाईयों की सुविधा प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को राजकीय चिकित्सालय में दवाई उपलब्ध न होने की स्थिति में, संदर्भण के पश्चात् पंजीकृत औषधालय से दवाई प्राप्त करने तथा सी0जी0एच0एस0 की तत्समय लागू दर के अनुरूप भुगतान करने एवं आई0टी0 संरचना पर दर्ज दर्ज करने की व्यवस्था की जायेगी।

2.8 राजकीय चिकित्सालयों द्वारा अर्जित क्लेम धनराशि का विभाजन –

(i) राजकीय चिकित्सालयों द्वारा अर्जित क्लेम धनराशि का विभाजन निम्नवत् किया जायेगा–

- 50 प्रतिशत– आयुष्मान उत्तराखण्ड के सोसाईटी के खाते में।
- 35 प्रतिशत–चिकित्सालयों के रोगियों हेतु औषधि/इम्प्लान्ट/अन्य सुविधा हेतु व्यय किया जायेगा।
- 15 प्रतिशत– चिकित्सकों/कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन धनराशि के रूप में।

(ii) चिकित्सकों/कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन धनराशि का विभाजन निम्नवत् किया जायेगा–

- 01 प्रतिशत–चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक।
- 05 प्रतिशत– चिकित्सालय के चिकित्सक दल।
- 01 प्रतिशत– चिकित्सालय के ओ0टी0 टेक्नीशियन।
- 01 प्रतिशत–चिकित्सालय के लैब असिस्टेंट।
- 01 प्रतिशत–चिकित्सालय के फार्मासिस्ट।

  (यदि इनमें से किसी पैरामेडिकल स्टाफ की उपचार हेतु आवश्यकता न हो तो यह धनराशि चिकित्सालय के चिकित्सकीय दल को दी जायेगी)।
- 03 प्रतिशत–चिकित्सालय के नर्सिंग दल।

- 01 प्रतिशत चिकित्सालय के वार्ड बॉय।
- 01 प्रतिशत चिकित्सालय के सफाई कर्मी।
- 01 प्रतिशत–चिकित्सालय के अंतर्गत अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड के अंतर्गत क्लेम प्रोसेस करने का कार्य सम्पादित करने वाले कार्यरत कार्यालय सहायक/डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत विभागवार /चिकित्सालयवार भर्ती मरीजों को Base Line (आधार संख्या) मानते हुए उसके सापेक्ष वृद्धि पर प्रोत्साहन दिया जायेगा।

2.9 सशक्त लोक शिकायत निवारण की प्रकिया का गठन –

(i) लाभार्थी संबंधी, चिकित्सालयों संबंधी व राज्य/जनपद स्तरीय कियान्वयन एजेंसी सम्बन्धित शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक कॉल सेन्टर 104/अन्य, मोबाईल, इंटरनेट के साथ–साथ सोशल मीडिया के माध्यम से दर्ज की जायेंगी एवं इनका अनुश्रवण करते हुये निष्पादन/समाधान हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड के लाभार्थियों से आई0वी0आर0 एस0 (Interactive Voice Response System) (IVRS) के माध्यम से योजना की गुणवत्ता का सर्वे कराया जायेगा। जैसेः– पूर्व में 'मेरा अस्पताल' के माध्यम से गुणवत्ता का सर्वे कराये जाने की व्यवस्था है।

(ii) शिकायत निवारण हेतु त्रि–स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा–

- **ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति** – उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।
- **जनपद स्तरीय शिकायत निवारण समिति** – जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।
- **राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति** –सचिव–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में।

(iii) समस्त शिकायतों की निवारण रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर शासन को प्रेषित की जायेगी।

2.10 **धोखाधड़ी निषेध** – उपचार के दौरान किसी प्रकार के सम्भावित फॉड को रोकने हेतु रोगी का विभिन्न चरणों में यथासंभव रीयलटाईम में फोटोग्रापस/ वीडियो (तेलांगना राज्य में आरोग्यश्री ट्रस्ट की भांति) एवं अन्य दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से अपलोड किये जायेंगे, जिनकी त्रिस्तरीय शिकायत निवारण समिति द्वारा मॉनिटरिंग की जायेगी।

2.11 **मेडिकल/वित्त अंकेक्षण** –

(i) **वित्त अनुभाग द्वारा (वित्तीय अंकेक्षण)** – राज्य हेल्थ एजेंसी का वर्ष में एक बार वित्तीय अंकेक्षण किया जायेगा।

(ii) **राज्य हैल्थ एजेन्सी/प्रकोष्ठ द्वारा अंकेक्षण** – राज्य हेल्थ एजेन्सी द्वारा प्राप्त कुल भुगतान हेतु दावों का सतत मेडिकल अंकेक्षण किया जायेगा। अंकेक्षण हेतु निम्नवत बिन्दुओं को आधार माना जायेगा :–

- एक ही चिकित्सालय में अत्यधिक चिकित्सा उपचार होना।
- एक ही पंजीकरण संख्या के तहत चिकित्सा लाभ बार–बार लेना।
- चिकित्सा उपचार हेतु भर्ती होने की पुनरावृत्ति।
- आकस्मिकता प्रपत्र का अत्यधिक उपयोग होना।
- एक से अधिक उपचार बार–बार होना।
- लाभार्थी के चिकित्सा उपचार अवधि का अनुभव/प्रतिक्रिया।
- अन्य कोई और रिपोर्ट/आंकड़ों के आधार पर।
- सह विकृति कारक (Co Morbidity Factor) का अत्यधिक बार प्रयोग।

- भर्ती के दिनों की अवधि में सदैव वृद्धि।
- शल्य चिकित्सा उपचार में अन्य चिकित्सकीय उपचारों की वृद्धि करना।

2.12 संचालन –

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर किया जायेगा, जिस हेतु गठित सोसायटी का रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा। सोसायटी के संचालन हेतु द्विस्तरीय संरचना गठित की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु गर्वनिंग बॉडी शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्य करेगी, जबकि कार्यकारिणी समिति योजना का संचालन सुनिश्चित करेगी। इनकी संरचना निम्नवत् है :–

(i) गर्वनिंग बॉडी (शासकीय सभा)

1	प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष्मान उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव
3	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड	सदस्य
4	निदेशक, प्रशासन (सोसाईटी)	सदस्य
5	निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी (सोसाईटी)	सदस्य
6	निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट (सोसाईटी)	सदस्य
7	निदेशक, वित्त (सोसाईटी)	सदस्य
8	निदेशक, आई0टी0 (सोसाईटी)	सदस्य
9	अपर निदेशक, प्रशासन	सदस्य
10	अपर निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट	सदस्य

(ii) कार्यकारणी समिति

1	प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष्मान उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव
3	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड	सदस्य
4	निदेशक, प्रशासन (सोसाईटी)	सदस्य
5	निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी (सोसाईटी)	सदस्य
6	निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट (सोसाईटी)	सदस्य
7	निदेशक, वित्त (सोसाईटी)	सदस्य
8	निदेशक, आई0टी0 (सोसाईटी)	सदस्य
9	अपर निदेशक, प्रशासन	सदस्य
10	अपर निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट	सदस्य

सोसायटी के कार्यों और दायित्वों के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2.13 राज्य हैल्थ एजेंसी (S.H.A.) का गठन–

सोसाईटी द्वारा योजना का संचालन राज्य हैल्थ एजेंसी (S.H.A.) के सहयोग से किया जाएगा, जिसका चयन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट को राज्य की आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुए किया जायेगा। उक्त एजेन्सी में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मानव संसाधन एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना / यू–हैल्थ प्रकोष्ठ के मानव संसाधन को सम्मिलित किया जायेगा। उक्त योजना के संचालन हेतु कुल 200 पद सृजित हैं, जिंसका संचालन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो शासन में अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / मिशन निदेशक, एन0एच0 एम0 होगा। इनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया जायेगा। आई0टी0 सपोर्ट प्रदान करने हेतु आउटसोर्स एजेंसी का चयन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति

नियमावली, 2017 के अनुसार किया जायेगा। संविदा के पद आउटसोर्सिंग एजेन्सी से कार्मिक विभाग के शासनादेशानुसार भरे जायेगें। आयुष्मान मित्र सुपरवाइजर तथा आयुष्मान मित्रों का कार्य वर्तमान में, विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अथवा भुगतान/आय व्यय (बिलिंग) से सम्बन्धित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधि (Depute/Delegate) करते हुए किया जायेगा। भविष्य में राज्य स्तर से चयनित एजेन्सी द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से आयुष्मान मित्रों का चयन किया जायेगा।

2.14 राज्य हैल्थ एजेन्सी (S.H.A.) की संरचना परिशिष्ट में उल्लिखित है, जिसके अन्तर्गत गठित विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठों का प्रारूप, कार्य तथा इनमें तैनात कार्मिकों के पदनाम, वेतनमान/मानदेय, भर्ती/चयन प्रक्रिया आदि निम्नवत् हैं :–

(i) <u>मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ/प्रशासनिक प्रकोष्ठ</u> :– यह प्रकोष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दिशा–निर्देशन में कार्य करेगा, जिसके अन्तर्गत निदेशक, प्रशासन आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठ के सदस्यों को सम्मिलत करते हुए, रिक्त पदों के सन्दर्भ में योग्यता एवं शर्तो का निर्धारण, पदों हेतु चयन, मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि का आयोजन करेंगे। साथ ही आई0ई0सी0 से सम्बन्धित कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार करेंगे एवं क्रियान्वयन करेंगे एवं प्रोक्यूरमेन्ट के कार्य से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार/क्रय करेंगे। इसके अतिरिक्त योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, योजना संबंधी नीति निर्धारण एवं सामान्य प्रशासनिक निर्णय सम्बन्धित कार्य करेंगे।

(ii) <u>वित्त प्रकोष्ठ</u> :– यह प्रकोष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दिशा–निर्देशन में कार्य करेगा, जिसके अन्तर्गत निदेशक, वित्त आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठ के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए वित्त सम्बन्धित प्रकरणों पर सलाह, सुझाव एवं प्रकरणों का निष्पादन करेंगे। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत चिकित्सालयों एवं लाभार्थियों से संबंधित वित्तीय ऑडिट का कार्य संपादित करेंगे।

(iii) <u>स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता प्रकोष्ठ</u> :– यह प्रकोष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दिशा–निर्देशन में कार्य करेगा, जिसके अन्तर्गत निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठ के सदस्यों को सम्मिलत करते हुए मेडिकल एवं बेनफिसयरी ऑडिट, चिकित्सा उपचार सुरक्षा प्रदान करने हेतु जनपदों से समन्वय एवं चिकित्सा पैकेज तैयार करेगा साथ ही योजना से संबंधित गुणवत्ता हेतु मानक का निर्धारण करेगा।

(iv) <u>क्लेम मैनेजमेंट प्रकोष्ठ</u> :– यह प्रकोष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दिशा–निर्देशन में कार्य करेगा, जिसके अन्तर्गत निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठ के सदस्यों को सम्मिलत करते हुए चिकित्सालयों से सम्बन्धित क्लेम निस्तारण हेतु प्री–ऑथराईजेशन प्रोसेस, क्लेम मैनेजमेंट, चिकित्सालयों को क्लेम भुगतान, लाभार्थी से सम्बन्धित प्रकरण एवं जाँच, उपचार से सम्बन्धित शिकायत, क्लेम सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच करेगा।

(v) <u>आई0टी0 प्रकोष्ठ</u> :– यह प्रकोष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दिशा–निर्देशन में कार्य करेगा, जिसके अन्तर्गत निदेशक, आई0टी0 आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठ के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए आई0टी0 से सम्बन्धित कार्य यथा Data Availability, Integrity and Security, MIS Coordination. Management of IT Hardware & Software क्रियान्वयन करेंगें तथा आवश्यकतानुसार आई0टी0 से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करेंगे।

(vi) <u>सतर्कता प्रकोष्ठ</u> :– यह प्रकोष्ठ सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करेगा, जिसमें मेडिकल ऑडिट मैनेजर तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भी सम्मिलित होंगे।

2.15 राजकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्रों की तैनाती –

(i) योजना के सुचारू संचालन हेतु राजकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्रों की तैनाती की जायेगी। इनके द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत भर्ती मरीजों का सहयोग/मार्गदर्शन एवं क्लेम प्रक्रिया में मदद की जायेगी। इन्हें न्यूनतम रू0 5,000/– प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मरीजों की क्लेम प्रक्रिया पूर्ण करने पर प्रति मरीज रू0 50/– का प्रोत्साहन भी दिया जायेगा।

(ii) आयुष्मान मित्रों को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, बेस चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उन ब्लॉक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जहाँ मरीजों की संख्या अत्यधिक है, में तैनात किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समस्त निजी चिकित्सालय एवं निजी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान मित्रों की तैनाती उनके संचालक द्वारा स्वयं अनिवार्य रूप से की जायेगी। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के सत्यापन एवं अन्य कार्य हेतु आयुष्मान मित्रों (राजकीय चिकित्सालयों में तैनात) को एक फोन/टैबलेट, सी0यू0जी0 सिम सहित दिया जायेगा, जिसके माध्यम से आयुष्मान मित्र लाभार्थियों की फोटो/ वीडियो जियो–टैग सहित, विभिन्न चरणों में स्टेट हैल्थ एजेंसी को प्रेषित कर सकेंगे।

(iii) आयुष्मान मित्र सुपरवाइजर तथा आयुष्मान मित्रों का कार्य विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अथवा भुगतान/आय व्यय (बिलिंग) से सम्बन्धित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधि (Depute/Delegate) करते हुए किया जायेगा। भविष्य में राज्य हैल्थ एजेन्सी (S.H.A.) द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से आयुष्मान मित्रों का चयन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–669/XXVII(7)/2018. दिनांक 12 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

<u>संख्या– (1)/XXVVIII-4-2018-04/2008. T.C., तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
5. महानिदेशक–सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को अटल आयुष्मान योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु।
6. मण्डलायुक्त–गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून)।

8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून)।
9 निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11 वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
13 बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव